

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
विज्ञापन संख्या- 6/2011-12

विज्ञापन संख्या: 6/संयुक्त विज्ञापन/भर्ती/2011-12

दिनांक: 26-05-2011

- निम्नलिखित पद की भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन-पत्र (On-line Application Form) पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है। आवेदक को प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन-पत्र भेजना आवश्यक है :-
विशेष नोट :-(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
(2) आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के निर्देशों एवं नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।
- आवेदन प्रक्रिया-** आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 40/- (रुपये 35/- आवेदन-पत्र भरने हेतु + रुपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 5/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन-लाइन आवेदन-पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को 35/- रुपये की रसीद पृथक से कटवानी होगी। आयोग द्वारा हाथ से भरे गए फॉर्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

क्रम संख्या-1 :- सहायक लोक अभियोजक -द्वितीय श्रेणी (Assitant Public Prosecutor-Gr.-II), अभियोजन विभाग के लिए राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत भर्ती। पद अस्थाई - स्थाई होने की संभावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)												निःशक्तजन L.D & C.P. (B.L.)					
			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग								
	सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला								
150	58	17	6	1	17	5	2	7	4	-	-	23	7	2	-	1	-	-	-	4
9 TSP के पद	-	-	-	-	1	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

संक्षिप्ताक्षर- सा.= सामान्य, वि.= विधवा, परि.= परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला)
(उपरोक्त पदों की स्थिति विभाग के बताये अनुसार दर्शाई गई है।)

नोट:-

- राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए सभी आरक्षित पद, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इस आरक्षित रिक्ति को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.07 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Area) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सहरिया जाति हेतु आरक्षित पद अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय सदस्यों से भरे जायेंगे।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए :-
(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :-
Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)
B.L.- both legs affected but not arms.
(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
(स) उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।
(द) निःशक्तजन आवेदक On line Application Form यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:-किसी वर्ग(सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**
- महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

- (6) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपबल्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

योग्यताएँ:-

- (1) Degree in Law (two years course under the old Scheme or three years course under the New Scheme) or Degree in Law (Professional) from a University established by law in India or qualification recognised by the Govt. as equivalent thereto; and
- (2) Two years experience at the Bar or if worked as Prosecuting Sub-Inspector experience for 2 years as such.
- (3) Working knowledge of Hindi written as Devnagari Script and Knowledge of Rajasthan Culture.

नोट :-प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

आयु :- दिनांक 1-1-2012 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-
"यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"
- स्पष्टीकरण :-** आयोग द्वारा वर्ष 2006 में इन पदों को विज्ञापित किए जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2007 को की गई थी तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।
- (2) (क) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष : और (ग) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (3) राजस्थान की पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- (4) भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबस्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु पात्र था, के लिए उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (5) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (7) कैडेट इन्स्ट्रक्टर को उतने ही काल के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (8) सहायक लोक अभियोजक - द्वितीय श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए रिक्त पदों की कमी के कारण इस पद से हटाये गये व्यक्तियों के लिए अथवा इन पदों को समाप्त किये जाने के कारण हटाये गये व्यक्तियों के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी यदि वे सेवा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में थे। जब वे इस पद पर प्रारम्भतः नियुक्त किये गये थे जिस पद से वे पूर्व में हटाये गये थे बशर्ते की भर्ती की सामान्य निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण किया गया हो और योग्यता, आचरण चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण-पत्र आदि से सम्बन्धित अपेक्षाएं पूर्ण की गई हो और उन्हें शिकायत अथवा अपचारिता के कारण नहीं हटाया गया हो और वे उनके द्वारा की गई अच्छी सेवा का प्रमाण-पत्र अन्तिम नियुक्ति अधिकारी का प्रस्तुत करें तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।
- (9) कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा ओर जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- (10) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबस्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (11) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद हेतु आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
- (12) 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (13) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (14) विधवाओं एवं सामान्य वर्ग की विच्छिन्न विवाह महिलाओं (परित्यक्ता) के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
(स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा।)
- (15) राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम 2000 के अनुसार पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप से शिथिलीकृत किया जा सकेगा :-

- (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, (ख) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

वेतनमान :- रनिंग पे-बेण्ड संख्या-2 (9300-34800) ग्रेड पे संख्या-12 (रूपये 3600/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा।

कार्य : न्यायालयों में अभियोजन सम्बन्धित पैरवी करना।

प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

महंगाई भत्ता : नियमानुसार।

मुख्यालय : राजस्थान में किसी भी स्थान पर जहाँ न्यायालय स्थापित (सृजित है)

पेंशन:- दि. 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) (ASSISTANT ENGINEER (MECH.) एवं कनिष्ठ रसायनज्ञ (JUNIOR CHEMIST), भू-जल विभाग के लिए के पदों की राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 के अन्तर्गत भर्ती। पद अस्थाई-स्थाई होने की सम्भावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)					
			सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
					सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
2.	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) (ASSISTANT ENGINEER (MECH.) भू-जल विभाग	5	-	-	3	-	2	-	-	-
3.	कनिष्ठ रसायनज्ञ (JUNIOR CHEMIST) भू-जल विभाग	1 बैकलॉग का पद	-	-	1	-	-	-	-	-

नोट:- सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) पद के लिए:-

- (1) राजस्थान की अनुसूचित जाति के तीन पदों में से दो पद बैकलॉग के हैं जोकि दिनांक 10-10-2002 के पूर्व के हैं एवं शेष एक पद वर्तमान का पद है तथा राजस्थान की अनुसूचित जनजाति दोनों पद बैकलॉग के हैं जोकि दिनांक 10-10-2002 के पूर्व के हैं।
- (2) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पूर्व के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22-6-2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों) भरा जाएगा। इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जाएगा।
- (3) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् का हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इस आरक्षित रिक्त को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

कनिष्ठ रसायनज्ञ पद के लिए:-

राजस्थान की अनुसूचित जाति के आरक्षित पद, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् का हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इस आरक्षित रिक्त को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

शैक्षणिक योग्यता :-

क्रम संख्या 2 के पद हेतु योग्यताएं:-

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी.ई (यान्त्रिक) या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित अर्हता अथवा सरकार द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री के समकक्ष घोषित किसी विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान की यान्त्रिक अभियान्त्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा।
परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में अथवा शिक्षा स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

क्रम संख्या 3 के पद हेतु योग्यताएं:-

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से अकार्बनिक रसायन विज्ञान या विश्लेषात्मक रसायन विज्ञान में एम. एससी.
- (2) जल एवं सिलिकेट विश्लेषण का दो वर्ष का अनुभव।
- (3) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

नोट :-प्राप्ति को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

आयु:-दिनांक 01.01.2012 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार:-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”

स्पष्टीकरण : सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) पद के लिए:- यह पद आयोग द्वारा वर्ष 1997 में विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.1998 को की गई थी तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

स्पष्टीकरण : कनिष्ठ रसायनज्ञ पद के लिए:- यह पद आयोग द्वारा वर्ष 1994 में विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.1995 को की गई थी तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

- (2) सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) पद के लिए:- राजस्थान की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

कनिष्ठ रसायनज्ञ पद के लिए:- राजस्थान की अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

- (3) भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबस्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

- (4) अन्य भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (5) कैडेट इन्स्ट्रक्टर को उनकी वास्तविक आयु में से उनकी सेवा की अवधि को, जो कि उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी को घटाने की अनुमति दी जावेगी और यदि परिणामित आयु ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (7) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थायी (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (8) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
- (9) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :- क्रम संख्या 2 व 3 के पदों हेतु:- रनिंग पे-बेण्ड संख्या-3 (15600-39100)

ग्रेड पे संख्या-15 (रूपये 5400/-)

‘एसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा।’

प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

कार्य : तकनीकी कार्य का सुपरविजन व उपखण्ड कार्यालय के प्रशासनिक कार्य आदि।

महंगाई भत्ता : नियमानुसार।

मुख्यालय : राजस्थान में विभाग के किसी भी कार्यालय में।

पेंशन :- दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

सहायक खनि अभियन्ता (Assistant Mining Engineering) एवं रसायनज्ञ (Chemist) खान एवं भूविज्ञान विभाग के लिए के एक पद की राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत भर्ती। पद अस्थाई-स्थाई होने की सम्भावना का है। पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)					
			सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
					सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
4.	सहायक खनि अभियन्ता (Assistant Mining Engineering), खान एवं भूविज्ञान विभाग	5	2	-	1	-	1	-	1	-
		2	-	-	1	-	1	-	-	-
5.	रसायनज्ञ (Chemist), खान एवं भूविज्ञान विभाग	1	1	-	-	-	-	-	-	-

नोट:- सहायक खनि अभियन्ता के पद हेतु :-

- (1) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों में से एक-एक पद बैकलॉग के है जोकि दिनांक 10-10-2002 के पूर्व के हैं।
- (2) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पूर्व के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22-6-2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों) भरा जाएगा। इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जाएगा।
- (3) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार भरा जाएगा।

सहायक खनि अभियन्ता एवं रसायनज्ञ के पद हेतु :-

- (4) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक-एक आरक्षित पद, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इस आरक्षित रिक्ति को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

शैक्षणिक योग्यता :- कम संख्या 4 के लिये योग्यता :-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री।

या

इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से ए.एम.आई.ई. (माइनिंग इंजीनियरिंग) पार्ट- ए एवं बी।

या

इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स एण्ड अप्लाइड जियोलोजी, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

या

राजस्थान सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता।

कम संख्या 5 के लिये योग्यता :-

Post Graduate Degree in Chemistry from a University established by Law or institute recognised as equivalent by Government

कम संख्या 4 व 5 की प्रथम योग्यता के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा कि:-

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण— यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में अथवा शिक्षा स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

आयु—दिनांक 01.01.2012 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 42 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार:-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”

स्पष्टीकरण : (1) **सहायक खनि अभियन्ता पद के लिये** :-यह पद आयोग द्वारा वर्ष 2003 में विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2004 को की गई थी तत्पश्चात इस पद का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) **रसायनज्ञ के लिये**:- यह पद आयोग द्वारा वर्ष 1997 में विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.1998 को की गई थी तत्पश्चात इस पद का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) **सहायक खनि अभियन्ता पद के लिए**:-राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(3) भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्सटेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) अन्य भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(5) कैडेट इन्स्ट्रक्टर को उनकी वास्तविक आयु में से उनकी सेवा की अवधि को, जो कि उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी को घटाने की अनुमति दी जावेगी और यदि परिणामित आयु ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।

(6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।

(7) रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 7 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :- कम संख्या 4 एवं 5 के लिये:- रनिंग पे-बेण्ड संख्या-3 (15600-39100)

ग्रेड पे संख्या-15 (रूपये 5400/-)

‘ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा।”

प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

कार्य : विभाग द्वारा पद से सम्बन्धित निर्धारित कार्य।

महंगाई भत्ता : नियमानुसार।

मुख्यालय : राजस्थान में कहीं पर भी।

पेंशन :- दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

क्रम संख्या-6 :- सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer), कृषि विभाग के 231 पदों हेतु राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत भर्ती। पद अस्थाई-स्थाई होने की संभावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)												निःशक्त जन	भूतपूर्व सैनिक					
	सा.	महिला			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग									
		सा.	वि.	परि.	सा.	सा.	वि.	परि.	सा.	सा.	वि.	परि.	सा.	सा.	वि.	परि.							
213	77	21	8	2	25	6	2	—	19	5	2	—	33	8	3	—	2	—	—	—	6	17	
18 TSP के पद	8	2	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2 posts each for B.L.V./H.I./LD&CP)	28 वर्तमान के पद

संक्षिप्ताक्षर— सा.= सामान्य, वि.= विधवा, परि.= परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला)

(उपरोक्त पदों की स्थिति विभाग के बताये अनुसार दर्शाई गई है।)

नोट:-

(1) उपरोक्त 213 पदों में से अनुसूचित जाति संवर्ग के 34 पद का आरक्षण बनता है किन्तु इस वर्ग का एक व्यक्ति अधिक कार्यरत होने पर 33 वास्तविक रिक्त पदों का आरक्षण दर्शाया गया है।

(2) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए सभी आरक्षित पद, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इस आरक्षित रिक्ति को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.07 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Area) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति तथा सहरिया जाति हेतु आरक्षित पद अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय सदस्यों से भरे जायेंगे।

(4) TSP क्षेत्र के 10 सामान्य पद(जिनमें से 8 पद सामान्य के एवं 2 पद सामान्य महिला के लिये आरक्षित हैं) विज्ञापित सामान्य पदों में उपरोक्तानुसार आरक्षित है।

(5) निःशक्त व्यक्तियों के लिए :-

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :-

Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)

O.A. - One arm affected (R or L)

(a)impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

O.L.- One leg affected (R or L)

Blindness or Low vision (B./L.V.):- B – Blind L.V.- Low Vision

H.I.-Hearing Impairment:- Deaf & Partly deaf

- (ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा ।
- (स) उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।
- (द) निःशक्तजन आवेदक **On line Application Form** यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
- (य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- (6) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण:-**किसी वर्ग(सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**
- (7) महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- (8) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। उपरोक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार अन्य स्रोत से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है, अन्यथा लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।

शैक्षणिक योग्यता :-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से बी .एससी. (कृषि)

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक इस उपाधि की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं इस उपाधि की परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

आयु :-दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार:-

‘यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।’

स्पष्टीकरण : इन पदों को आयोग द्वारा वर्ष 2008 में विज्ञापित किया जाकर उनकी आयु की गणना दिनांक 01.01.09 को की गई थी। तत्पश्चात् वर्ष 2009 एवं 2010 में इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था परन्तु अब इन पदों का विज्ञापन जारी कर आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की जावेगी। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में –

(क) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष : और (ग) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(3) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

(4) भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्सटेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु पात्र था, के लिए उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

(5) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी ।

- (6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (7) कैडेट इन्टरकटर्स को उतने ही काल के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (8) कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- (9) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (10) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद हेतु आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
- (11) 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (12) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों /निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (13) विधवाओं एवं सामान्य वर्ग की विच्छिन्न विवाह महिलाओं (परित्यक्ता) के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
(स्पष्टीकरण) : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
- (14) राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष प्राप्त नहीं करनी चाहिये परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष शिथिल करने योग्य होगी।
- (15) राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम 2000 के अनुसार पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप से शिथिलीकृत किया जा सकेगा :-

(क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, (ख) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और
(ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान : रनिंग पे बेण्ड- 2 (3900-34800) ग्रेड-पे संख्या-12 (रुपये 3600/-)

“ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।”

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

महंगाई भत्ता : नियमानुसार।

कार्य : कृषि विस्तार व कृषि से संबंधित अन्य कार्यालयों के अन्तर्गत कृषि उत्पादन संबंधित समस्त कार्य। **परिवीक्षा काल (प्रवेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं :** नियमानुसार। **मुख्यालय :** राजस्थान में कहीं पर भी। **पेंशन :-** दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

3. **अन्तिम दिनांक :-** आवेदन की अन्तिम दिनांक 25 जून, 2011 को रात्रि 12-00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन-लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑन-लाइन आवेदन करें।

4. **संवीक्षा परीक्षा का स्थान, माह एवं योजना :-**

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक प्रकार (Objective Type) की होगी और अजमेर में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा तिथि की सूचना भी शीघ्र जारी की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।

5. **परीक्षा शुल्क:-** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आयोग को भेजें:-

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - **रुपये 250/-**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु- **रुपये 150/-**

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु- **रुपये 50/-**

नोट :-1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रुपये 40/-** (**रुपये 35** आवेदन पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/-** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।

2. ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं।

4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं हैं वे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

5. **आवेदक को प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन-पत्र भेजना आवश्यक है।**

6. **आवेदन कैसे करें :-** अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट :- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

7. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में :-** सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

8. **नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-**

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो,, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:-

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28)

6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन-पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

9. **अनुचित साधनों की रोकथाम :-** परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfair means during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है।

10. **श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा :-** सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना-पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

11. **कृपया ध्यान दें :-**

i. **On line Application Form** आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन-पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनायें संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा अथवा **On line Application Form** में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ii. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि **On line Application Form** भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं **On line Application Form** भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।

iii. आयोग कार्यालय द्वारा **On line Application Form** में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका **On line Application Form** अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **On line Application Form** में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा।

iv. विज्ञापित पदों के विरुद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन-पत्र भेजकर भरवाया जाएगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन-पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

12. **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-** आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ (जो कि संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले आवेदकों से भरवाए जाएंगे) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :-

(अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

(ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र **On line Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।

- (द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।
- (य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात् जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **On line Application Form** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।
- नोट :-**आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम (**Provisional**) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार-पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

आयोग की वेबसाइट:-

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी एवं संवीक्षा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-5151200 एवं 5151216 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष टिप्पणी :-

- (1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
- (2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएँ। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश-पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।
- (3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- (5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- (6) आयोग को आवेदन-पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :-
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305026.

(डॉ.के. के. पाठक)
सचिव